

कार्यालय जिलाधिकारी गोरखपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 686/खनिज/नीलामी/सा0बालू/2026-27

दिनांक : 16.06.2026

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सार्वजनिक विज्ञापित की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-781/86-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 एवं शासनादेश संख्या-782/86-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 26.05.2020 के अर्न्तगत प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम, आदि के खनन क्षेत्रों को ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से अल्प अवधि पर व्यवस्थित किया जाना है। उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध क्षेत्र घोषित किया जाता है तथा दिनांक 20.06.2026 से 30.06.2026 तक (07 कार्य दिवस) तक क्षेत्रों के लिये ई-निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है, विवरण निम्नवत् है :-

1-क्षेत्र का विवरण :-

क्र० सं०	उप खनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				जियोकार्डिनेट बिन्दु-A बिन्दु-B बिन्दु-C बिन्दु-D	नियमावली 2021 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रु० प्रति घनमीटर)	खनन योग्य आकलित उपखनिज का भण्डार (घन मी०)	आधार मूल्य (रायल्टी दर X आकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
			तहसील	ग्राम	गाटा सं० / खण्ड सं० / जोन सं०	क्षेत्रफल (हे० गे०)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	सा० बालू	राप्ती	सदर	राजपुर दूरी	765, 766	5.00	A 26°49'0.09"N 83°14'36.25"E	80.00	12,500	10,00,000	5,00,000
							B 26°49'01.84"N 83°14'38.22"E				
							C 26°48'48.8"N 83°14'52.30"E				
							D 26°48'46.53"N 83°14'49.82"E				
2.	सा० बालू	घाघरा	गोला	कोलखास एह०	113क/1	12.00	A 26°17'15.88"N 83°39'54.76"E	80.00	30,000	24,00,000	12,00,000
							B 26°17'9.85"N 83°40'14.26"E				
							C 26°17'3.37"N 83°40'11.74"E				
							D 26°17'9.62"N 83°39'52.21"E				
3.	सा० बालू	घाघरा	गोला	दलुआ एह०	108	15.00	A 26°16'37.13"N 83°25'49.44"E	80.00	30,000	24,00,000	12,00,000
							B 26°16'26.19"N 83°26'23.01"E				
							C 26°16'21.26"N 83°26'22.22"E				
							D 26°16'32.36"N 83°25'48.23"E				

2- ई-निविदा की काल योजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी।

ई-निविदा आमन्त्रण	दिनांक 20.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 30.06.2026 को सायं 05:00 बजे तक
मूल अगिलेख को जमा करने का स्थान व समय	कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) गोरखपुर दिनांक 01.07.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक
ई-निविदा को खोलने का दिनांक व स्थान	कार्यालय जिलाधिकारी गोरखपुर में दिनांक 02.07.2026 को अपराह्न 12:00 बजे से

- खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिये होगी।
- जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू/मोरम या बजरी या बोल्टर) इनमें कोई भी मिली जुली अवस्था हो की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।
- किसी क्षेत्र के ई-निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रि-विड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी, जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, अग्रिम के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग-अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी, तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग-अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
- ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आकलित उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुंच मार्ग आदि के लिये मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी।
 - (क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेंसी से टाईप-II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
 - (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध आनलाइन फार्म भरना होगा। निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आईडी0 व पासवर्ड बनवायेंगे।
 - (ग) बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
 - (घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. निविदादाता द्वारा आनलाइन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आईडी0 लागिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप-2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

प्रारूप-2 की सूचनायें :-

 - क- विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
 - ख- विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।
 - ग-निविदाकार का नाम, पिता का नाम व पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल व मोबाइल नम्बर।
 - घ-उस क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है।
 - ङ- अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 2000/- का चालान संख्या व दिनांक।
 - च- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
 - छ-पैन कार्ड का क्रमांक।
 - ज- चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।
 - झ-कम्पनी की दशा में कम्पनी डी0आई0एन0 संख्या।

स्व0 प्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :-

 - क- ई निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0 2000/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।
 - ख- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।
 - ग-पैनकार्ड
 - घ- जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो। वहां इस आशय का शपथ पत्र।
 - ङ- सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहां व स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का डिन आवश्यक होगा।
7. विज्ञप्ति के अनुसार पांच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर से खोला जायेगा।
8. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप-2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि अगले कार्य दिवस) तक सम्बन्धित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी, जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा, उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

10. सर्वोच्च दर से निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिये किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाइन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा पत्र हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।
11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
12. प्राप्त ई-निविदा के अनुसार 06 माह के लिये देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पर निर्गत होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।
13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा, जिन क्षेत्रों के लिये पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नहीं है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा पत्र धारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र दिया जायेगा।
14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।
15. अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो के लिये अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियाये सम्पादित करेगा।
17. खनन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा परिवहन हेतु सम्बन्धित ग्राम की कास्कारी भूमि से रास्ता बनाने का उत्तरदायित्व स्वयं अनुज्ञा पत्र धारक का होगा।
18. मात्रा आदि के सम्बन्ध में Replenishment study/शासन/मा0 एन0जी0टी0/मा0 न्यायालय के आदेशों के अधीन होगा।
19. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 तथा समय समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय (उ0प्र0), लखनऊ।
3. आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, गोरखपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
7. सगस्त उपजिलाधिकारी जनपद गोरखपुर को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

15/6/2026
जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

साधारण बालू हेतु ई-निविदा प्रपत्र

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा ई-निविदा आमंत्रित की गयी हो	
2	विज्ञप्ति में क्षेत्र क्रमांक/लाट संख्या	
3	निविदाकार का नाम	
4	निविदाकार के पिता का नाम	
5	स्थायी पता	
6	वर्तमान पता	
7	मोबाइल नम्बर	
8	ई-मेल आईडी	
9	पैन कार्ड नम्बर	पैन कार्ड की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
10	पता का प्रमाण-पत्र(पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा) वोटर आईडी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण।	पहचान-पत्र की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
11	जिस क्षेत्र के निविदा दी जानी है उसका विवरण क. उप खनिज का नाम— ख. जनपद का नाम— ग. तहसील का नाम— घ. क्षेत्र क्रमांक/लाट संख्या—	
12	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र	घोषणा पत्र/शपथ पत्र की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
13	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र हैसियत प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाण पत्र की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
14	खनिज के प्रति घन मी० के लिए दी जा रही दर जो नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में उस खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।	रू०— प्रति घन मी० (अंको में) रू०— प्रति घन मी० (शब्दों में)
15	विज्ञप्ति में क्षेत्र के लिए दी गई मैटिरियल भण्डार की मात्रा	—————घनमीटर
16	क्षेत्र में मैटिरियल भण्डार की मात्रा को नियमावली के अनुसूची-1 में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर से गुणा करने पर जो धनराशि आती है उसका 50 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का विवरण	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि ——— बैंक का नाम व शाखा————— बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

उपरोक्त उल्लिखित विवरण भरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक:—

स्थान:—

निविदाकार के हस्ताक्षर